ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

उत्तरप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद अनुसू चतजाति एवं जनजाति की राजनीतिक भागीदारी की समीक्षा

शुभम राय
शोध छात्र, राजनीति वज्ञान वभाग, महात्मा गाँधी काशी वद्यापीठ वाराणसी

सारांश

*भारत में **73**वें सं वधान संशोधन अ धनियम(**1992**) के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं **(PRIs)** कोसंवैधानिकदर्जाप्रदान कयागयाऔर अनुसू चतजातियों **(SCs),** अनुसू चतजनजातियों **(STs)** समुदायोंकीराजनीतिक भागीदारी में ऐतिहा सक परिवर्तन देखने को मला है तथा महिलाओं के लए आरक्षण को अनिवार्य कया गया। अनुसू चतजाति की बड़ी आबादी वाले उत्तरप्रदेश में इस सुधारने ग्रामीण शासन की संरचना में गहरा परिवर्तन कया है। यह शोध-पत्र संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने के बाद उत्तरप्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में **SC/ST** की राजनीतिक भागीदारी की आलोचनात्मक समीक्षा करता है। इसमें प्रतिनि धत्व सद्धांत**(Pitkin),** राजनीतिक भागीदारी सद्धांत **(Verba, Putnam),** सशक्तिकरण और अंतर **-**संबं धता सद्धांत**(intersectionality)** जैसे सद्धांतों काउपयोग कया गया है। द् वतीयकस्रोतों, सरकारी आँकड़ों और शैक्ष णक साहित्य पर आधारित यह अध्ययन दर्शाता है क वर्णनात्मक **(descriptive)** प्रतिनि धत्व में उल्लेखनीय वृ द्ध हुई है, कंतु संरचनात्मक असमानताओं, प्रभुत्वशाली वर्गों के नियंत्रण और सामाजिक-राजनीतिक अवरोधों के कारण वास्त वक **(substantive)** सशक्तिकरण अभी भी असमान और सी मत है। अंततः, यह शोध पत्र आरक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने और वास्त वकसशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है।*

मुख्यशब्द (Keywords):*पंचायतीराज, राजनीतिकभागीदारी, अनुसू चतजाति, अनुसू चतजनजाति, उत्तरप्रदेश, प्रतिनि धत्व, सशक्तिकरण*

प्रस्तावना

भारत के प्राचीन ग्रंथों में स्थानीय स्वशासन की मसालें "सभा", "स मति" के रूप में मलती हैं. ब्रिटिश शासन काल में पंचायती संस्थाएं कमजोर पड़ीं, कंतु स्वतंत्रता के बाद गांधीजी, नेहरूजी,

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

और डॉ. अम्बेडकर ने वकेंद्रीकरण और ग्रामस्वराज पर बल दिया। सं वधान निर्माण के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने कहा - "राजनीतिक शक्ति का उपयोग द लतों की सामाजिक मुक्ति के लए करना चाहिए।"

73वाँ सं वधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहा सक मोड़ था। सं वधान में अनुच्छेद **243** से **243(O)** तक जोड़े जाने से अनुसू चत जाति एवं जनजाति के लए उनके जनसंख्या अनुपात के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों में आरक्षण की गारंटी की गई (अनुच्छेद **243D**)। उत्तरप्रदेश, जहाँ **SC** की आबादी लगभग **20.7%** तथा **ST** कीमात्र **0.6%** है (जनगणना **2011**), इससंदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है।

73वें सं वधान संशोधन के तहत अनुच्छेद **243D** के माध्यम से अनुसू चत जाति, जनजाति के लए पंचायतों में आरक्षण अनिवार्य कया गया। जिला, क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत में जनसंख्या के अनुपात में सीटें आर क्षत की गईं। उत्तरप्रदेश सरकार ने पंचायतराज अ धनियमों में आवश्यक संशोधन कर इसे मूर्त रूप दिया. पंचायती राज की संरचना: उत्तरप्रदेश में पंचायतीराज त्रिस्तरीय है- **{1}** ग्रामपंचायत **(Village Panchayat) {2}** क्षेत्रपंचायत **(Block Panchayat) {3}** जिलापंचायत **(District Panchayat)** पंचायतों का पाँच वर्षीय कार्यकाल, प्रत्यक्ष चुनाव, अध्यक्ष के लए भी आरक्षण, तथा महिलाओं के लए एक तिहाई सीटों में आरक्षण प्रमुख वशेषताएँ हैं.

श्रेणी **(Category)**	संख्या / ववरण **(Units/Details)**
जिलापंचायत **(Zila Panchayats)**	**75**
क्षेत्रपंचायत / मध्यपंचायत **(Kshetra / Block Panchayats)**	**822**लगभग
ग्रामपंचायत **(Gram Panchayats)**	**58,000 to 59,000**लगभग

अनुसू चत जाति एवं जनजाति की राजनीतिक भागीदारी

भारत का सबसे अ धक जनसंख्या वाला राज्य उत्तरप्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के लए एक वशेष अध्ययन क्षेत्र है**।** राज्य की कुल जनसंख्या **19.98** करोड़ (जनगणना **2011**) है, जिस में अनुसू चत जातियों का अनुपात लगभग **20.7%** तथा अनुसू चत जनजातियों का मात्र**0.6%** है। यह सामाजिक संरचना ही उत्तरप्रदेश को ग्रामीण स्वशासन में आरक्षण और प्रतिनि धत्व के वश्लेषण के लए व शष्ट बनाती है। वं चत वर्ग की राजनीतिक भागीदारी के बिना लोकतंत्र अपूर्ण है (सुरेश

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

रामवाली) पंचायत स्तर पर **SC/ST** प्रतिनि ध ग्राम वकास योजनाओं, शक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि में भाग लेते हैं। पंचायत चुनावों में **SC/ST** प्रत्या शयों की संख्या में निरंतर वृ द्ध हो रही है.

डॉ. भीमराव आंबेडकर का यह कथन क *"सामाजिक एकता के बिना राजनीतिक एकता संभव नहीं"* इस तथ्य को रेखां क तकरता है क वास्त वक राजनीतिक सशक्तिकरण के लए सामाजिक समानता पूर्व शर्त है (आंबेडकर)। यह शोध इसी संवाद पर केंद्रित है क संवैधानिक प्रतिनि धत्व क सहदतकवास्त वकसशक्तिकरण में बदल पाया है।

सैद्धांतिकढाँचा

1. प्रतिनि धत्वका सद्धांत **(Pitkin, 1967):** पट कननेवर्णनात्मक **(descriptive)** और वास्त वक **(substantive)** प्रतिनि धत्व में भेद कया। आरक्षण के माध्यम से **SC/ST** नेताओं की संख्यात्मक उपस्थितितो बढ़ती है, परंतुक्यावे नीति-निर्माण पर वास्त वक प्रभाव डालपाते हैं, यह प्रश्न बना रहता है।
2. राजनीतिक भागीदारी के मॉडल **(Verba, 1995; Putnam, 1993):** वर्बाका नागरिक स्वेच्छा चारिता मॉडल **(civic voluntarism)** संसाधन, प्रेरणा और अवसरों पर बलदेता है, जब क पटनाम सामाजिक पूँजी **(social capital)** को संस्थागत प्रदर्शन से जोड़ते हैं। इन मॉडलों से **SC/ST** की सी मत भागीदारी को समझा जा सकता है।
3. सशक्तिकरण और अंतर संबं धता **(Crenshaw, 1989):** द लत एवं आदिवासी महिलाएँ जाति, वर्ग और लंग के आधार पर बहुस्तरीय हा शयाकरण का सामना करती हैं। इन के राजनीतिक अनुभव का अध्ययन केवल संख्यात्मक प्रतिनि धत्व से परे जाकर होना चाहिए।
4. नीति मूल्यांकन **(Chattopadhyay & Duflo, 2004):** प्रायो गक अध्ययनों से स्पष्ट है क आरक्षण सार्वजनिक वस्तुओं के आवंटन पर प्रभाव डालता है, कंतु इसका असर स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर रहता है।

शोधपद्धति

यह शोध मुख्यतः द् वतीयक स्रोतों पर आधारित है: कानूनी दस्तावेज़: भारतीय सं वधान, **73**वाँ संशोधन अ धनियम। सरकारी आँकड़े: जनगणना **2011**, राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्टें। शैक्ष णक साहित्य: रिसर्चगेट, जे-स्टोर, **PRIA, NIRD** आदि। सैद्धांतिक संदर्भ: **Pitkin (1967),**

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

Verba (1995), Putnam (1993), आंबेडकर के वचार, **Intersectionality** साहित्य। मी डया वहाल के समाचार–के संर चत समेकन पर आधारित है। उत्तरप्रदेश के लए **SC/ST** जनसांख्यि की **(Census 2011** और लोक सांसद प्रश्नोत्तरी दस्तावेज) तथा व वध राज्य/क्षेत्रीय अध्ययनों का उपयोग कया गयाहै। प्रमुख स्रोतों के रिफरेंसेस लेख में अंत में दिए गए हैं।

अनुसू चत जाति / जनजाति का प्रतिनि धत्व की समीक्षा

1. प्रतिनि धत्व की मात्रा बढ़ी पर गुणवत्ता असमान रही: **73**वीं संशोधन के बाद **SC/ ST** के निर्वा चत प्रतिनि धयों की संख्या बढ़ी– वशेषकर ग्राम स्तर पर–पर कई अध्ययनों **(PRIA, NIRD,** व भन्न अकाद मक पेपर) ने संकेत दिया क यह संख्यात्मक प्रतिनि धत्व हमे शासामग्रीगत प्रभाव में तब्दील नहीं हुआ; कई बार द लत प्रतिनि धयों को निर्णायक शक्ति, वत्तीय नियंत्रण या प्रशासनिक अ धकार सी मत मले।
2. द लत महिलाएँ– दुगुनामार्जिनलाइज़ेशन: अनुसू चत जाति की महिलाओं के लए आरक्षण ने राजनीतिक प्रवेश तो सुनिश्चित कया पर सामाजिक और दमनात्मक संरचनाएँ (ब्राह्मणवादी/पारम्परिक स्थानीय शक्तिसंयन्त्र) कई बार उनकी स्वायत्तता को कम कर देती हैं; कई मामलों में सद्ग्रहित/ पछड़े पुरुष या स्थानीय द लत-**elite** उनके प्रतिनियुक्ति का नियंत्रण करते रहे। क्षेत्रीय अध्ययनों ने यह भी दिखाया क कुछ स्थानों पर**'proxy 'या' sarpanch-pati'** जैसे रूप प्रकट हुए जहाँ वास्त वक निर्णय पुरुष-परिवार-नियंत्रित रहे।
3. सरोकारोंकास्वर **(Policy priorities):** आर क्षत प्रतिनि धयों ने अक्सर सड़कों, पानी, शक्षा जैसी प्राथ मक सार्वजनिक वस्तुओं को प्राथ मकतादी–परयहमानक नहीं था; स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्यतथा पार्टी-नीतियों का प्रभाव निर्णायक रहा। **Chattopadhyay & Duflo** जैसे अध्ययन यह दर्शाते हैं क उच्चस्तरीय प्रयोग-आधारित शोधों में आरक्षण ने कुछ मामलों में सार्वजनिक गुड्स की गुणवत्ता को बदला।
4. स्थानीय गुटबाज़ी वएलीट-हाइजैक **(Elite capture):** अनेक अध्ययन बताते हैं क जहांतक संसाधनों का वतरण है, स्थानीय एलीट–चाहे वे उच्चजाति के हों या द लत-**elite**–कई बार निर्णयों को नियंत्रित कर लेते हैं; इसका परिणाम यह होता है क निचले तबके का वास्त वक फायदा सी मत रहता है। यही निष्कर्ष उत्तरप्रदेश के कुछ क्षेत्रीय के सस्टडीज़ में मलते हैं।

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

वश्लेषण- सैद्धान्तिक ववैवस्थिक व्याख्या

1. वर्णनात्मक बनाम सामग्रीगत प्रतिनि धत्व: **Pitkin** के वभाजन के अनुसार उत्तरप्रदेश में **73**वीं संशोधन ने वर्णनात्मक प्रतिनि धत्व (अर्थात **SC/ST** के चेहरे का चुनाव) ज़रूर बढ़ाया, पर सामग्रीगत प्रतिनि धत्व (नीतिगत निर्णयों पर प्रभाव) व भन्न स्तरों पर असमान निकला। कई बार प्रतिनि ध संरचनात्मक बाधाओं– शक्षा, आ र्थक संसाधन, प्रशासनिक जानकारी–की वजह से स्वायत्त निर्णय नहीं ले पाते।
2. सामाजिक पूँजी और भागीदारी: **Putnam/Verba** मॉडल के अनुसार जहाँ सामाजिक पूँजी मजबूत होगी, वहाँ स्थानीय संस्था अ धक प्रभावशाली होंगी। यूपी के अनेक गांवों में जातिगत वभाजन और सामाजिक बहिष्कार ने द लत प्रतिनि धयों की नेटव र्किंग व सामूहिक दबाव बनाने की क्षमता को सी मत कया। इस लए प्रतिनि धयों की सफलता का निर्भरत्वव्यक्तिगत गुणों के साथ-साथ सामाजिक-प्रासं गक संसाधनों पर भी है।
3. अंतर-संबं धता चुनौतियाँ: द लत महिलाओं को जाति और लंग दोनों के आधार पर प्रत्यक्ष भेदभाव का सामना करना पड़ता है– यह न केवल चुनावी सफलता को प्रभा वत करता है, बल्कि पद के भीतर उनकी निर्णयक्षमताव सुरक्षा को भी प्रभा वत करता है। कई अध्ययनों ने सुझाव दिया है क महिलाओं के लए आरक्षण के साथ प्र शक्षण, कानूनी सुरक्षा व सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य होने चाहिए।
4. राजनीतिक दलों व स्थानीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव: उत्तरप्रदेश में बड़े राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय दलों की स्थानीयस्तर पर रणनीतियाँ **(candidate selection,** दबाव कारीगठ जोड़, प्रत्या शयों का वत्त एवं संगठन) द लत नेतृत्व के वास्त वक प्रभाव को प्रभा वत करती हैं–कई बार द लत प्रतिनि ध पार्टी के भू मकात्मक आदेशों के अनुरूप कार्य करते हैं। मी डया वहा लया घटनाएँ भी स्थानीय आरक्षण-रूगा लयों **(roster)** और आरक्षण-रिक्तियों पर वाद- ववाद दिखाती हैं।

वचाराधीन चुनौतियाँ

1. शक्षा/संसाधन-ख़ासकमी: निर्वा चत द लत प्रतिनि धयों का औसत साक्षरता/प्रशासनिक प्र श क्षत होना अक्सर कम रहता है, जिससे योजना-लेखनव नि ध-प्रबंधन में कमजोरी आती है।
2. एलीट-हाइजैक और पारिवारिक/पार्टरल नियंत्रण: 'प्रॉक्सी' नेतृत्व या परिवार-नियंत्रण के कारण महिलाओं व निचले द लत प्रतिनि धयों की स्वायत्तता कमजोर होती है।

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

3. सामाजिक भेदभाव और धम कयाँ: वशेष कर ववादास्पद या संवेदनशील निर्णयों में जातिगत तनाव उत्पन्न होता है, जिससे प्रतिनि धयों का मनोबल प्रभा वत होता है।
4. नियोक्तिकरण **(co-optation)** और पार्टी-आदेश: राजनैतिक दलों के दबाव सेस्थानीय प्राथ मकताओं का झुकाव बदल सकता है।

नीति-निर्देश और सुधारात्मक सुझाव

1. *प्र शक्षणवक्षमता निर्माण:* निर्वा चत **SC/ST** प्रतिनि धयों के लए निय मत, मॉड्यूल-आधारित प्र शक्षण (वत्तीयप्रबंधन, स्थानीययोजनाएँ, कानूनी अ धकार) अनिवार्य करें। कई सफल-आधारित अध्ययनों ने प्र शक्षण को निर्णायक बताया है।
2. *सामाजिक समर्थन संरचनाएँ:* ग्राम स्तरीय सामाजिक पूँजी बढ़ाने के लए सामुदायिक मंच और ग्राम सभा की स क्रयता पर बल दें–यह द लत प्रतिनि धयों को सामूहिक समर्थन दे सकती है। **(Putnam/Verba** सद्धांतानुरूप)।
3. *कानूनी सुरक्षा व निगरानी:* प्रतिनि धयों को धमकी/हिंसा से बचाने हेतु वशेष सुरक्षा प्रावधान व फास्ट-ट्रैक शकायत निवारण तंत्र बनाना चाहिए।
4. *रोटेशन-रूल की पारद र्शता व पुनरावलोकन*: आरक्षण रोस्टर और सीट-अवसान का पारदर्शी वतरण सुनिश्चित करने हेतु स्वतन्त्र समीक्षार्थ तथा जनहित सुनवाई आयोजित हों–हाइकोर्ट/**SEC** मामलों में दिखे मुद्दे ध्यान में लें।
5. *वशेष कार्यक्रम द लत महिलाओं के लए*: द लत महिलाओं के लए आ र्थक, सामाजिक और शै क्षक हस्तक्षेप प्रारम्भ कए जाएँ ता क वे पद में आकर वषय गत निर्णय ले सकेंन क' प्रॉक्सी' बनकर रह जाएँ।

वमर्श

पट कन का सद्धांत दर्शाता है क उत्तरप्रदेश ने वर्णनात्मक प्रति नि धत्वतो प्राप्त कर लया है, परंतु वास्त वक प्रतिनि धत्व अभी अधूरा है। वर्बा और पटनाम के मॉडल बताते हैं क संसाधनों की कमी और सामाजिक पूँजी की कमजोरी भागीदारी को सी मत करती है। अंतर-संबं धता **(Intersectionality)** यह उजागर करती है क द लत महिलाओं का नेतृत्व अक्सर प्रतीकात्मक रह जाता है।

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

आंबेडकर का दृष्टिकोण याद दिलाता है क राजनीतिक लोकतंत्रत भी स्थायी हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित हो। च ोपाध्याय और डुफ्लो **(2004)** के अध्ययन भी यह संकेत देते हैं क आरक्षण नीतिगत प्राथ मकताओं को प्रभा वत करते हैं, कंतु संस्थागत अवरोध इन के प्रभाव को सी मत कर देते हैं।

निष्कर्ष

उत्तरप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं कोसं वैधानिक दर्जा देनेवाले **73**वें संशोधन अ धनियम के प्रभाव स्वरूप अनुसू चतजाति **(SC)** और अनुसू चतजनजाति **(ST)** समुदायों की राजनीतिक भागीदारी में निरंतर वस्तार हुआ है। प्रतिनि धत्व के स्तर परवर्णनात्मक **(descriptive)** वृ द्ध अवश्य हुई है– पंचायतों में **SC/ST** सदस्यों एवं महिलाओं की हिस्सेदारी व्यापक रूप से बढ़ी है, जिससे लोकतांत्रिक वमर्श में समावेशन और व वधताका सकारात्मक संकेत मलता है। फर भी, यह अध्ययनदर्शाता है क पात्रताओं और संरचना में निहित असमानताओं के कारण यह भागीदारी अभी मुख्यतः प्रतीकात्मक है; वास्त वकनीतिगत **(substantive)** सशक्तिकरण, निर्णय प्र क्रया में प्रभाव तथा संसाधनों पर नियंत्रण को वांछित स्तर तक नहीं पहुँचा जा सका है। सामाजिक पूँजी की कमी, शक्षा/प्रशासनिक संसाधनों की अनुपलब्धता, जातिगत और लैं गक पूर्वाग्रह, **'proxy'** या परिवार-नियंत्रित नेतृत्व जैसी चुनौतियाँ आज भी व्याप्त हैं। उच्चस्तरीय गुटबाजी या स्थानीय एलीटद्वारा संसाधनों का नियंत्रण, और स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं के कारण वं चत समुदायों के निर्वा चत प्रतिनि ध अपने अ धकारों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

इस लए, केवल आरक्षण नीतियों को लागू करना पर्याप्त नहीं है; आवश्यक है क प्र शक्षण, क्षमता-वकास, कानूनी/सामाजिक संरक्षण, ग्राम सभा की स क्रय सहभा गता एवं सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कया जाए। अंतरसंब धता **(intersectionality)**, सशक्तिकरण और सार्थक भागीदारी के लए वशेष कार्यक्रम– वशेषकर द लत एवं आदिवासी महिलाओं के लए–अत्यंत जरूरी हैं। प्रशासनिक प्र क्रयाओं में पारद र्शता, जागरूकता, और जवाब देहीतंत्र को भी मजबूत कया जाना चाहिए।

अंततः, उत्तरप्रदेश के अनुभव से यह निष्कर्ष निकलता है क संवैधानिक प्रतिनि धत्व और लोकतांत्रिक भागीदारी महत्वपूर्ण यथार्थ हैं, कंतु सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण की संभावनाएँ तभी पूर्ण होंगी जब संरचनागत अवरोधों के समाधान हेतु बहुस्तरीय नीतिगत हस्तक्षेप सुनिश्चित कए जाएँ। केवल सीटों की गणना ही नहीं, बल्कि प्रतिनि धयों की सहभा गता, आत्मनिर्भरता और निर्णयक्षमता को बढ़ाना; यही पंचायतीराज और सामाजिकन्याय की वास्त वक सफलता का मानक

होगा. आंबेडकर की यह चेतावनी प्रासं गक है क सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक अ धकार स्थायीन हीं हो सकते।

संदर्भ

i. भारतसरकार. **(1992).** भारतकासं वधान, **73**वां सं वधान संशोधन अ धनियम, अनुच्छेद **243** से **243(O)**।

ii. उत्तरप्रदेश पंचायतीराज अ धनियम एवं संबं धत सरकारी दस्तावेज।

iii. उत्तरप्रदेश पंचायतीराज वभाग. **(2025).** आ धकारिक वेबसाइट

iv. भारत सरकार। **(2011).** जनगणना **2011:** अनुसू चतजाति एवं जनजाति के जनसांख्यि की आंकड़े।

v. **Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.**

vi. **Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.**

vii. **Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.**

viii. **Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.**

ix. **Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India. *Econometrica*, 72(5), 1409-1443.**

x. **Ambedkar, B. R. (** वशेष रूप से द लत राजनीति एवं सामाजिक न्याय पर वचार और लेख)।

www.ijahms.com

xi. शैक्ष णक शोधपत्र **(PRIA - People's Research Institute for Inclusive Development; NIRD - National Institute of Rural Development)** और अन्य संबं धत शैक्ष णक स्रोत।

xii. सामाजिक वज्ञान जर्नल: उत्तरप्रदेश के संदर्भ में पंचायतीराज व्यवस्थापर शोध आलेख।

xiii. स्थानीय शासन और लोकतंत्रपर व भन्न शोध पत्रत थाराज नीतिक सद्धांत संबंधी साहित्य।

xiv. उत्तरप्रदेश चुनाव आयोग की रिपोर्टें एवं पंचायतीराज चुनाव संबं धत आंकड़े।

xv. सामाजिकन्याय, द लत एवं आदिवासी सशक्तिकरण पर प्रका शत साहित्य एवं सरकारी रिपोर्टें।

xvi. मी डयारिपोर्ट और समाचारपत्र: उत्तरप्रदेश पंचायतीराज से संबं धत वश्लेषण और आरक्षण नीति संबंधी जानकारी।

www.ijahms.com